

—: निविदा की शर्तें :-

01. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियों, दवाईया, स्वच्छता/ विधुत सामग्री भवन निर्माण सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम 1968 एवं म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जायेगी।
02. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख/- तक रूपये 500/- एवं 5 लाख से अधिक रूपये 1,000 प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेले-800 अन्य प्राप्तिां में जमा करना होगा।
03. निविदायें खण्डवार पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा की जायेंगी। निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि की खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जायेगी। 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
01	खाद्यान्न सामग्री	33,00,000/-	99,000/-
02	स्वच्छता एवं अन्य सामग्री	14,00,000/-	42,000/-
03	सब्जियाँ एवं फल	6,20,000/-	18,600/-
04	दवाईयाँ	1,50,000/-	4,500/-
05	भवन निर्माण सामग्री	7,50,000/-	22,500/-

04. वार्षिक ई-निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2027 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।
05. खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में दरें प्रस्तुत की जायें वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
06. उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकार (जी.एस.टी.) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकारों को निविदा के साथ निविदा तिथि से पिछली तिमाही(Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
07. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जायेगी। तिथि परिवर्तन की सूचना mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जायेगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।

08. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय म.प्र के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3/भोपाल दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 200-200रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ-पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाये जायें। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

शपथ पत्र-अ

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा-10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/ भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र-ब

(जेल मुख्यालय क परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं..... जो केन्द्रीय/जिला/सब जेल.....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.....की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म..... के मालिक/ भागीदार किसी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

09. तहसील या मंडी या खाद्यन्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर यह दरें एक सप्ताह के अंदर प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।

10. निविदा में निविदाकारों द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराये जायेंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर हस्ताक्षर किये जावेंगे। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मांग कर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जायेगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेंगे।
 - I. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
 - II. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
 - III. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन होने की तिथि से पिछली तिमाही, का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिटर्न।
 - IV. विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र
 - V. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"
 - VI. अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।
 - VII. खाद्य वस्तुओं / दवाईयों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
 - VIII. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा उनका स्पष्ट रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - IX. दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस।
 - X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र।
 - XI. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित-पत्र।
 - XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नही होने का घोषणा पत्र।
11. निविदा के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं, तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्ना एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिये निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं उन सामग्रियों के ब्रैंड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। नमूने प्राप्त होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड के नामों का

उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

13. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सील बंद डिब्बे में रखे जायेगे। निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएँ साफ-सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाई जायेंगी, व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगी।
14. निविदा में दर्शायी गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर, नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जायेगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
15. सब्जियाँ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होंगी, जो प्रातः 7.00 बजे से 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचानी होगी। निर्धारित समय तक सब्जियाँ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिये खुले बाजार से क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंब से भेजी गई सब्जियाँ वापस कर दी जाएगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। जेल बगीचे से सब्जियाँ उपलब्ध न होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जायेंगी।
16. दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रीयों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लाइसेंस अपलोड करना आवश्यक है। जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कम्पनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हों, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी में सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम एक वर्ष शेष होना आवश्यक है। दवाईया एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जायेगी। निविदाकारों को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में


गम्भीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ति करनी होगी।

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्धशासकीय/शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी।
18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अन्दर पंजीयन एवं स्टांप(वाणिज्य कर) विभाग म.प्र. प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 09 सितम्बर 2025 द्वारा भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम 2025 में संशोधित किये अनुसार निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार के नॉन ज्युडिशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।(संलग्न-उपरोक्तानुसार)
19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी/ Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जायेगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये कारारनामा भरने एवं निष्पादनप्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गई 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जायेगी।
21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियाँ समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल गेट पर करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर/Whatsapp Number/ई-मेल आईडी देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत

करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर मोबाईल नंबर / व्हाटसएप नंबर / ईमेल आईडी में से कोई एक भी अंकित किया है तो उसे भी मान्य किया जायेगा । उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगा ।

23. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा । सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर (टेक्स)काटने योग्य होगा, काटा जायेगा । विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जायेगा । देयकों के भुगतान में विलंब होने कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदारा को नहीं होगा ।
24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर अंशतः स्वीकृत या नामन्जूर करने का अधिकार है ।
25. निविदा तथा करारनामों के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे ।

नोट- किसी भी निविदाकर के द्वारा निविदा में किसी सामग्री की दर प्रस्तुत नहीं करना चाहते है, तो निविदाकरा 00 डालते है जिससे एल-1 प्रभावित होता है। अतः जिन सामग्रीयो की दर प्रस्तुत नहीं करनी है उन सामग्रियों के लिए 00 दर्ज करने के स्थान पर Not Quoted के विकल्प का प्रयोग किया जावे।



सहायक जेल अधीक्षक
सब जेल नसरुल्लागंज
जिला सीहोर (म.प्र)